

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)


यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

नं. कजोड़ बनाम बहादुर सिंह वगैरे

मुकदमा नं. दावा मुकदमा नं. 46 सन् 2017

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
04/17	<p>वादी श्री कजोड़ ने हाजिर अदालत होकर वापस पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। अखिवक्तागण द्वारा देखाव्यापी हड़ताल पर होने के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक 24-04-2017 को पेश है।</p>	
04/17	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवा एडवोकेट ने बहाल नामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जरिह अभ्यन की जाकर पत्रावली दिनांक 24-05-2017 को पेश है।</p>	1711-33 28/4/17
23/17	<p>वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिलान तलबी स्वीकार किया जावे पर पत्रावली पूर्व नियत तारीख पेशी के तलब की जाकर आज पेश हुई। वादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी अपने दावे को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा विहा छोड़ देने के अंतर्गत प्रदान करें।</p>	

वादी द्वारा प्रस्तुत

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा
	<p>कार्यवाही - पत्र लिखित कि जज को जमाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में आवे. को कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी तरह पर स्थगित की जाती है। पचासवीं जमाने कुमार होकर नम्बर से उम हो नया अनु तत्काल पत्र लिख कर है। निर्दिष्ट प्रकरण न्यायालय में प्रनाया गये।</p> <p style="text-align: right;">  न्यायाधीश उपस्थित न्यायाधीश खण्डेला (सीकर) </p>	